छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 518/2006</u>

श्री एम.जी. गुप्ता,
लेखापाल,
आर्शीवाद 26 रोड नं. 3,
वर्धमान नगर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(27 फरवरी 2007)

श्री एम.जी. गुप्ता के द्वारा छ.ग. सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 14.08.2006 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र देकर आठ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी जिसमें कि विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन की प्रति, नियुक्ति आदेशों की प्रतियां तथा श्री एम.पी. हंगरी, टेक्नीशियन, कुष्ठ नियंत्रक के वर्ष 1997–2000 तक के अवकाश तथा श्री रोशन नेताम की पदोन्नति संबंधी जानकारी चाही। उसके द्वारा अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया कि दिनांक 25.09.2006 का पत्र जो कि उसे डाक से प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचना अधिकारी के द्वारा 104 पृष्ठों की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से गणना पत्रक का उल्लेख कर रू. 210/– अभिलेख शुल्क जमा करने को कहा गया। अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने निःशुल्क जानकारी मांगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील शुल्क जमा करने के लिए अपीलार्थी को नोटिस दिया। उनके द्वारा दिनांक 30.10.2006 को अपील शुल्क जमा किया गया। अपीलार्थी ने जानकारी 30 दिन के अंदर प्राप्त न होने के फलस्वरूप तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश पारित न करने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.01.2007 को आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए कि जानकारी देने में विलंब हुआ है अतः 15 दिन में आवेदक को रिकार्ड का निःशुल्क परीक्षण कराकर जो अभिलेख वे चाहे, उसकी प्रति निःशुल्क दी जावे, साथ ही आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 500/– की राशि

भुगतान करने के निर्देश दिए एवं जन सूचना अधिकारी को रू. 10,000/- की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, का कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी करने के निर्देश दिए गए।

3/ जन सूचना अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने दिनांक 14.08.2006 को आवेदन पत्र दिया था जबकि उसे दिनांक 16.09.2006 को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिया गया। अतः 30 दिन के अंदर उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसे दिनांक 17.08.2006 को प्राप्त हुआ। उसके द्वारा संबंधित सभी शाखाओं, लेखा शाखा, स्थापना शाखा को दिनांक 21.08.2006 को ही जानकारी भेजने के लिए पत्र लिखा। कुछ शाखाओं से जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी अपूर्ण होने से दिनांक 04.09.2006 को उसने पुनः जानकारी के लिए पत्र लिखा। उसके द्वारा संबंधित शाखाओं को दिनांक 05.09.2006, दि. 08.09.2006, दि. 11.09.2006, दि. 12.09.2006, दि. 13.09.2006, दि. 14.09.2006 को स्मरण पत्र भेजे गए। अभिलेखों की जानकारी उसे 15.09.2006 को प्राप्त हुई तथा उसी दिन उसने अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए पत्र द्वारा सूचित किया जो कि पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर था। अपीलार्थी ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया तथा प्रथम अपील प्रस्तुत की। जन सूचना अधिकारी श्री दिनेश श्रीवास्तव के द्वारा यह भी बतलाया गया कि उसके द्वारा आयोग के निर्देश प्राप्त होने पर निःशुल्क जानकारी अपीलार्थी को दी गई तथा रू. 500/- की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को प्रदान किए। अपीलार्थी ने बतलाया कि उसे अभी भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भर्ती हेतु शासन के आदेश की प्रति नहीं प्रदान की गई। दिनांक 23.01.2007 के पत्र में उसके द्वारा चार बिन्दुओं पर जानकारी नहीं प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि आवेदक के द्वारा जो मूलरूप से जानकारी चाही गई थी, वह दे दी गई है। आवेदक पुनः नई जानकारी मांग रहे हैं। आवेदक ने पूर्व में बिन्दु कं. 1 में शासन के आदेश की प्रति तथा पद स्वीकृत करने संबंधी जानकारी नहीं चाही थी, साथ ही वाहन चालक के अधिक भर्ती किए गए पदों पर वाहन चालकों के नाम की जानकारी नहीं चाही थी। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि मांगी गई चार बिन्दुओं की जानकारी भी अपीलार्थी को बाद में दे दी गई। उसने यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है तथा लोकायुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया। चूंकि उनका स्थानान्तरण होने के कारण उसे कार्यमुक्त कर दिया गया था अतः वह तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध शिकायत करता रहा है तथा पूर्व में भी उसके द्वारा इस प्रकार की शिकायतें की गई।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने मूल आवेदन पत्र सूचना अधिकारी को न देकर आवक शाखा को दिया जो कि सूचना अधिकारी को दिनांक 17.08.2006 को प्राप्त हुआ। सूचना अधिकारी के द्वारा सभी शाखाओं से तत्काल जानकारी मांगी गई एवं मांगी गई जानकारी के अभिलेख के अनुसार दिनांक 15.09.2006 को ही अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए लिखा गया। अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया तथा निःशुल्क जानकारी के

लिए अपील की गई। जन सूचना अधिकारी के स्पष्टीकरण से यह विदित होता है कि उसे प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक से 30 दिन के अंदर उसने अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया। यदि अपीलार्थी के दिनांक 14.08.2006 के आवेदन पत्र की भी गणना की जावे तो केवल दो दिन का विलंब होता है कि जो कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विलंब जानबुझकर अथवा द्वेषवश किया गया है। शाखाओं से जानकारी प्राप्त होते ही उसने अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क हेतु सूचित किया तथा आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क जानकारी प्रदान की। विभाग के द्वारा अपीलार्थी को रू. 500/— की क्षतिपूर्ति आयोग के आदेश पर दी जा चुकी है। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को मूलरूप से मांगी गई जानकारी निःशुल्क रूप से प्रदान की जा चुकी है। जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध जानकारी जानबुझकर विलंब से देने अथवा द्वेषवश देने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः जन सूचना अधिकारी को जारी किया गया अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी इसी कार्यालय का कर्मचारी है तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही लंबित है। चूंकि जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की चुकी है। अतः इस प्रकरण में अब अग्रिम किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त